मु.नं.–30 / 2021 GCMS ID-2021/48 ता.रजु–01.04.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

चिरंजीलाल पुत्र स्व. श्री प्रभुलाल निवासी एच.नं. 158, गली नं. 1, आर.डी. पब्लिक स्कूल के पास, एकता एन्कलेव, बुराड़ी, दिल्ली – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 07.06.2021, 14.06.2021, 21.06.2021, 28.06.2021, 05.07.2021, 12.07.2021, 19.07.2021, 26.07.21, 05.08.21, 16.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर (1) ग्राम खोहरा में रजिस्टर्ड मंदिरों का नाम पता सहित ब्यौरा, (2) क्या मंदिरों की पूजा पाठ का कार्यभार पुजारी पण्डों के अधीन है, हां तो किस अधिनियम के तहत है, का ब्यौरा, (3) क्या मंदिरों की पूजा पाठ का करने का एक जाति विशेष (पुजारियों) का ही अधिकार है या दूसरा समाज या वर्ग भी कर सकता है। (4) क्या मंदिरों के पुजारी जो वंशानुगत चले आ रहे हैं, उनका बदलाव किया जा सकता हैया नहीं, अधिनियम की धारा सहित ब्यौरा (5) ग्राम के मंदिरों के नाम से जो जमीन होती है, जो पुजारियों के परिवार के पालन के लिये होती है या मंदिर के रखरखाव के लिये होती है, क्या इस जमीन पर पुजारियों का दादालाई हक होता है (6) क्या पुजारी मंदिरों की जमीन का बेचान कर सकता है या नहीं, (7) क्या मंदिरों की भूमि जो एग्रीकल्चर लेंड है, जिस पर आवासीय निर्माण किया जा सकता है या नहीं, (8) हल्का ग्राम खोहरा के खसरा नं. 357 के खाताधारक का नाम पता तथा क्षेत्रफल ल.चौ. फीट में माप का ब्यौरा आदि कुल आठ बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी का आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी को सूचना नहीं भिजवाई जा सकी थी। प्रथम अपील दायर होने पर नोटिस के साथ आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार टोड़ाभीम के माध्यम से उनके पत्रांक 242 दिनांक 23.04.2021 द्वारा अपीलार्थी को बिन्दुबार सूचना रजिस्टर्ड डाक से भिजवा दी गई है। अंत में अपील अपीलार्थी ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से बिन्दुबार सूचना प्रेषित कर दी गई है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने एवं उसके उपस्थित नहीं आने से यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है। अतः हम अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली